



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act. No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)


क्रमांक/परीक्षा-1/2018/6652

दिनांक-30/06/2018

आदेश

30/07/2018

विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 21 अप्रैल 2018 के निर्णयानुसार प्रति प्रोविजनल प्रमाण पत्र शुल्क राशि रु 250/- एवं डुप्लिकेट प्रोविजनल प्रमाण पत्र के लिये शुल्क की राशि रु 500/- निर्धारित की जाती है। संशोधित दरें आदेश जारी होने की तिथि से लागू होंगी।


(प्रो संजय द्विवेदी)
कुलसचिव


पृष्ठा.क्रमांक/परीक्षा/2018/6653

दिनांक 30/06/2018

30/07/2018

प्रतिलिपि :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, भोपाल, नोएडा, खण्डवा, रीवा, ग्वालियर, अमरकंटक एवं दतिया परिसर।
2. निदेशक, (संबद्ध अध्ययन संस्थाएं विभाग) की ओर सूचनार्थ एवं समस्त अध्ययन संस्थाओं से इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की कार्यवाही हेतु।
3. परीक्षा नियंत्रक, एम.सी.यू. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उप कुलसचिव (अकादमिक), एम.सी.यू. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सहायक कुलसचिव (ए.एस.आई., परीक्षा, मूल्यांकन, उपाधि, अकादमिक) एम.सी.यू. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रभारी वेबसाइट को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु
7. माननीय कुलपति, कुलाधिसचिव एवं कुलसचिव के निज सहायक को सूचनार्थ।


(प्रो संजय द्विवेदी)
कुलसचिव